

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
कुशीनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : २२ अक्टूबर, 2013

**विषय :** याम नरायनपुर, तप्पा-बटेसरा, विकास खण्ड खड़ा तहसील-पडरौना, जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के कटान से प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने के लिए भूमि क्रय किये जाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1041/भूमि सुधार-2013, दिनांक 30-07-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है याम नरायनपुर, तप्पा-बटेसरा, विकास खण्ड खड़ा तहसील-पडरौना, जनपद कुशीनगर में बड़ी गण्डक नदी के कटान से विस्थापित 71 परिवारों को बसाये जाने हेतु याम शिवपुर, तहसील-पडरौना में कुल 03 एकड़ भूमि के नियमानुसार क्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित शहरों एवं प्रतिवन्धों के अधीन कुल धनराशि ₹0 20,63,800/- (रुपये बीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ मात्र) आपके निवारण पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखांशीर्षक '4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदाये-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुर्नवास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत् निर्माण कार्य' के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत नियम एवं शासनादेशों के अनुसार नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा, तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु काढ़ापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

4. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवाटन कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-PISTOLATION DHANAWANTAN FROM APP 13 (PAGE 45)

2010/1-10-2012-33(37)/12-टी0सी0-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित वावरथा/दिशा-निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

6. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्ताकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-1778/X-2013, दिनांक- 14 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(एल० वेकटेश्वर लू )  
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या - २४४९ (1)1-10-2013, तददिनांक 33(136)|3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद

2-मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।

6-मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कुशीनगर।

7-वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।

8-समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-11/12 राजस्व अनुभाग-13/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।

10-गार्ड फाइल।

माजा से 31/11/11

(अनिल कुमार बाजपेही)

उप सचिव।